

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.4(ई)/(एन-52/2008)/अलेसे -III/6266-67 दिनांक :- 16.9.14,

आदेश

श्री नीरज कुमार परेवा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ के आवेदन तथा कोषाधिकारी द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 36 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)FD/Rules/2006Pt -1 जयपुर, दिनांक 07.08.2014 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	31.01.2013 से 15.02.2013 तक	16	स्वयं की शादी
2.	27.05.2013 से 05.06.2013 तक	10	आर.ए.एस. परीक्षा 2012 हेतु
3.	10.06.2013 से 14.06.2013 तक	05	आर.ए.एस. परीक्षा 2012 हेतु
4.	19.05.2014 से 23.05.2014 तक	05	घरेलू आवश्यक कार्य
	Total	36 दिवस	


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एन-52/2008)/अलेसे -III/6266-67 दिनांक :- 16.9.14,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ (राजस्थान) को श्री नीरज कुमार परेवा, क0 लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री नीरज कुमार परेवा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

(3) उप निदेशक (एसीसी) अमृतसर विभागाध्यक्ष


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)